

प्रेस नोट दिनांक 13.09.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/जाँच प्रार्थना पत्र/पेण्डिंग विवेचना/तलाश वांछित वारंटी के दौरान मा० न्यायालय जे०एम० कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू से सम्बन्धित मु०नं० 76/2010, धारा 3/7 ईसी एक्ट, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़, राज्य सरकार बनाम शिवलखन मिश्रा से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त शिवलखन मिश्रा पुत्र स्व० राम नारायण मिश्रा, नि० ग्राम कुसाहिल डीह पूरेधनऊ, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 55 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- शिवलखन मिश्रा पुत्र स्व० राम नारायण मिश्रा, उम्र करीब 55 वर्ष, नि० ग्राम कुसाहिल डीह पूरेधनऊ, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० अवधेश सिंह मय हमराह का० विपिन पाल व का० दीपक पटेल, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारंटी के दौरान मा० न्यायालय एससी/एसटी स्पेशल कोर्ट, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू केस संख्या 1566/2022, मु०अ०सं० 96/2021, धारा 323/354/504/506 भादवि व 3(1)(d)/3(1)(s)/3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़, राज्य सरकार बनाम आसिफ उर्फ पगला से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त साहिल पुत्र नन्ने उर्फ वकील अहमद, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी पूरे

अली नकी, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास स्टेशन रोड, बहद ग्राम पूरे अली नकी से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1-साहिल पुत्र नन्ने उर्फ वकील अहमद, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी पूरे अली नकी, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 मनोज कुमार पाण्डेय मय हमराह का0 भीमराव एवं का0 अमन यादव, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अवैध शराब के निर्माण/बिक्री एवं तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कुण्डा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म-जरायम एवं चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान 01 अभियुक्त ज्ञानचन्द्र उर्फ ज्ञानी सरोज पुत्र अमृतलाल सरोज, निवासी ग्राम जगदीशपुर नई बाजार, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 38 वर्ष को ग्राम जगदीशपुर नई बाजार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 प्लास्टिक की पिपिया में कुल 10 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। बरामद शराब का नमूना लेकर शेष माल को सील सर्व मुहर किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना कुण्डा पर मु0अ0सं0 344/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अपराध जमानतीय होने के कारण अभियुक्त को मौके पर जमानत मुचलके पर छोड़ा गया तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1-ज्ञानचन्द्र उर्फ ज्ञानी सरोज पुत्र अमृतलाल सरोज, निवासी ग्राम जगदीशपुर नई बाजार, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

10 लीटर कच्ची शराब

01 अदद प्लास्टिक की पिपिया

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 राजेश कुमार मय हमराह हे0का0 दीपक दुबे, रि0का0 पंकज भारती एवं रि0म0का0 कविता कुशवाहा, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना लीलापुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/तलाश वांछित एवं वारण्टी अभियुक्त के दौरान मा0 न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), कक्ष सं0-23, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट से सम्बन्धित धारा 323/504/506/308 भादवि, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त राहुल सरोज पुत्र शिवमूर्ति, नि0 ग्राम बलीपुर परसन, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- राहुल सरोज पुत्र शिवमूर्ति, उम्र करीब 28 वर्ष, नि0 ग्राम बलीपुर परसन, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 प्रशान्त कुमार मय हमराह का0 संतोष कुमार, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित/वारण्टी एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग के दौरान मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या-22, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित मु0नं0 8622/2021, अ0सं0 137/11, धारा 323/506 भादवि, थाना कोहंडौर से संबंधित वारण्टी अभियुक्त 1. रामनाथ पुत्र जियालाल, उम्र करीब 47 वर्ष एवं 2. विक्रम उर्फ धमकड़ पुत्र जियालाल, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासीगण ग्राम उसका, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1-रामनाथ पुत्र जियालाल, उम्र करीब 47 वर्ष, निवासी ग्राम उसका, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।

2-विक्रम उर्फ धमकड़ पुत्र जियालाल, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम उसका, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 उमेश प्रताप सिंह मय हमराह का0 अजय गौड़, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, 01 अभियुक्त आशीष कुमार गिरफ्तार, चोरी का 01 अदद मोबाइल फोन बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस को मिली सफलता: चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का 01 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया।

प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 408/2026 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के दौरान अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं चोरी का मोबाइल फोन बरामद होने पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में थाना रानीगंज के उ0नि0 अवधेश कुमार यादव मय हमराह कां0 दशरथ पटेल एवं कां0 राजू गौड़ द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अभियुक्त, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन एवं मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 408/2026 धारा 303(2) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त 1. आशीष कुमार पुत्र भारतलाल, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम दमदम, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत टाइटन इंटरनेशनल स्कूल दमदम के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी का 01 अदद मोबाइल फोन बरामद हुआ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसके पास चोरी का मोबाइल फोन था तथा पकड़े जाने के डर से वह पुलिस टीम को देखकर भागने लगा था, जिसे पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. आशीष कुमार पुत्र भारतलाल, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम दमदम, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

चोरी का 01 अदद मोबाइल फोन ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अवधेश कुमार यादव मय हमराह कां0 दशरथ पटेल एवं कां0 राजू गौड़, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।